झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा

षोडश– (मानसून)सत्र

वर्ग– 02

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 01 श्रावण, 1941 [श0] को 23 जुलाई, 2019 [ई0] झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक–	विभागों को संसूचित की गई सा0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
01.	अ0सू0– 13	श्री प्रदीप यादव	व्यवसायों को पुनर्जीवित करना।	उद्योग	17.07.2019
02.	अ0सू0– 03	श्री शिवशंकर उराँव	नियुक्ति करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.07.2019
03.	अ0सू0– 06	श्री फूलचन्द मंडल	परीक्षा का आयोजन कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.07.2019
04.	अ0सू0– 08	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	प्रदूषण रोकथाम करना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	15.07.2019
05.	अ0सू0– 01	श्री राधाकृष्ण किशोर	साक्षरता दर में समानता।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.07.2019
06.	अ0सू0– 02	श्री अरूप चटर्जी	पुराने पट्टा का नवीकरण।	खान एवं भूतत्व	14.07.2019
07.	अ0सू0– 16	श्री देवेन्द्र कु0 सिंह	परीक्षा आयोजित कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	17.07.2019
08.	अ0सू0–12	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	अनुदान राशि का भुगतान।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	17.07.2019

01.	02.	03.	04.	05.	06
09—	अ0सू0— 20	श्री मनीष जायसवाल	रिक्त पदों को भरना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18.07.2019
10—	अ0सू0— 17	श्री अनन्त कुमार ओझा	अतिक्रमण मुक्त कराना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन	18.07.2019
11—	अ0सू0— 18	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	मिड–डे मील कार्यक्रम शूरू कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18.07.2019
12—	अ0सू0— 05	श्री सुखदेव भगत	पदों का सृजन करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	14.07.2019
13—	अ0सू0— 04	श्रीमती सीमा देवी	प्रमाण पत्र निर्गत कराना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन	14.07.2019
14—	अ0सू0— 07	श्री जगरनाथ महतो	मानदेय भुगतान कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.07.2019
15—	अ0सू0— 14	श्री नागेन्द्र महतो	दोषियों पर कार्रवाई।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन	17.07.2019
16—	अ0सू0— 15	श्री प्रदीप यादव	मान्यता समाप्त करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	17.07.2019
17—	अ0सू0— 11	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	खर्च करना।	खान एवं भूतत्व	16.07.2019
18—	अ0सू0— 09	श्री नलिन सोरेन	किताबों की छपाई कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	16.07.2019
19—	अ0सू0— 10	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	समान वेतन देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	16.07.2019
20—	अ0सू0— 19	श्री बिरंची नारायण	खिलाड़ियों को नौकरी में नियुक्त करना।	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	18.07.2019

राँची,
दिनांक— 23 जुलाई, 2019 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–04/2015–1618/वि0स0, रांची, दिनांक– 21/07/19

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण / माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

21/07/19

(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–04/2015–1618/वि0स0, रांची, दिनांक– 21/07/19

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव, (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

21/07/19

उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–04/2015–1618/वि0स0, रांची, दिनांक– 21/07/19

प्रतिः– कार्यवाही शाखा,/आश्वासन समिति शाखा, प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रषित।

21/07/19

उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

19.07.19

सुभाष

(1)

माननीय प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.07.2019 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–उ0–13

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– **मंत्री–**

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सस्ते दर पर जमीन एवं कई कार्यक्रमों में अरबों रू0 खर्च किया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। सरकार के द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु मोमेन्टम झारखण्ड तथा सात ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह का भी आयोजन किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि पूर्व से लघु, कुटीर एवं मध्यम(MSME) उद्योग एवं व्यवसायों में विगत चार वर्षों में भारी कमी आयी है;	राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों में राज्य के तीव्र औद्योगिकरण हेतु विभिन्न औद्योगिक नीतियों यथा झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति–2016, झारखण्ड फूड एवं फीड नीति–2015, झारखण्ड निर्यात नीति–2015 इत्यादि को प्रवृत किया गया जिसमें एम0एस0एम0ई0 प्रक्षेत्र की इकाईयों को विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया है। चारों औद्योगिक प्रक्षेत्रों यथा आदित्यपुर,राँची,बोकारो एवं संथालपरगना में नये उद्योगों के स्थापना हेतु भूमि आवंटन किया गया है जिसमें एम0एस0एम0ई0 प्रक्षेत्र की इकाईयों को विशेष रियायत प्रदान की गई है। सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप अबतक हुए सात ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह में केवल एम0एस0एम0ई0 प्रक्षेत्र में कुल–412 नये परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें कुल निवेश 1390 करोड़ तथा रोजगार 20441 नये रोजगार सृजन हुआ है। विगत चार वर्षों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत झारखण्ड में एम0एस0एम0ई0 प्रक्षेत्र में कुल इकाईयाँ 55981 निबंधित है। स्पष्ट है कि विगत चार वर्षों झारखण्ड में एम0एस0एम0ई0 प्रक्षेत्र में नये इकाईयों की स्थापना हुई है तथा रोजगार सृजन भी हुआ है।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्न स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य में पूर्व से चल रहे MSME उद्योगों एवं व्यवसायों की पुनर्जिवित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक है। विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत एम0एस0एम0ई0 को विभिन्न प्रकार के अनुदान एवं अन्य सुविधाए नियमानुकूल देय है। झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 में वर्णित प्रावधानों के तहत राज्य सरकार के द्वारा रूग्न एवं बंद पड़े एम0एस0एम0ई0 को revival/rehabilitation किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01 / विधानसभा–(अ0सू0प्रश्न)–03–29 / 2019 - 1391 राँची, दिनांकः– 20/7/19

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1511 दिनांक–17.07.2019 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/7/19
सरकार के संयुक्त सचिव

(02)

1960
22/07/2019

श्री शिवशंकर उराँव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–03

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 ई0 में राज्य सरकार द्वारा संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के तहत लगभग 17,572 शिक्षकों की बहाली हेतु परीक्षा आयोजित की गई थी ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि प्रतियोगिता परीक्षा हेतु निर्धारित नियमावली के अनुसार उपर्युक्त 17,572 रिक्त शिक्ष पदों में 75 प्रतिशत रिक्त पदों पर सामान्य प्रतियोगिता से चयनित अभ्यर्थियों में से एवं 25 प्रतिशत रिक्त पदों पर अहर्त्ता प्राप्त प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षकों में से भरा जाना था;	विभागीय अधिसूचना संख्या–434 दिनांक 01.03.2016 द्वारा प्रख्यापित झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2015 में निहित प्रावधानों के तहत राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 21/2016 के आलोक में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वर्ष 2016 में स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई एवं प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिला स्तर पर की जा रही है। उक्त नियमावली के अध्याय–6 की कंडिका–9(i) के अनुसार चिन्हित रिक्तियों में से 25% पद सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हत्ता प्राप्त 5 वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा तथा 75% पद सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे। परन्तु यह कि प्रारंभिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हत्ता प्राप्त शिक्षकों हेतु आरक्षित पदों पर योग्य शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं पाये जाते हैं तो वैसी स्थिति में इन आरक्षित पदों पर भी सीधी नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी। तदनुसार सभी जिलों से प्राप्त रिक्ति के आधार पर कुल रिक्ति 17784 में से सीधी भर्त्ती (75%) हेतु 13398 तथा प्रारंभिक विद्यालयों के कार्यरत अर्हत्ताधारी शिक्षकों हेतु 4386 पद कर्णाकित किये गये है। उक्त कर्णाकित रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु प्रकाशित उक्त विज्ञप्ति के आलोक में आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्त्ती हेतु अधियाचित कुल पद 13398 के विरूद्ध अबतक 8373 तथा प्रारंभिक विद्यालयों के कार्यरत

अर्हताधारी शिक्षकों के लिए आरक्षित (25%) कुल पद 4386 के विरूद्ध 229 अर्थात् कुल अधियाचित 17784 के विरूद्ध कुल 8602 सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा भेजी गई है, जिसका जिलावार विवरण निम्नवत है :–

क्रं0	प्रमण्डल	जिला	अधियाचित रिक्ति	प्राप्त अनुशंसा	नियुक्ति की स्थिति	अभ्युक्ति
1	दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची	राँची	916	506		461 की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
2		खूँटी	387	217	194	5 विचाराधीन लंबित है।
3		गुमला	683	367	329	
4		सिमडेगा	419	223	190	
5		लोहरदगा	320	153	133	
6	उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग	हजारीबाग	748	419	344	
7		रामगढ़	557	292	277	
8		धनबाद	1045	515		334 की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
9		बोकारो	647	334		323 की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
10		कोडरमा	369	141	137	
11		गिरिडीह	1329	679	378	शेष 288 की काउंसिलिंग प्रक्रियाधीन है।
12		चतरा	836	407		308 की काउंसिलिंग हो गया है, जिसकी नियुक्ति एक सप्ताह के अन्दर की जायेगी तथा शेष 99 की काउन्सिलिंग दिनांक–18.07.19 को होगा।
13	कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा	पश्चिमी सिंहभूम	1120	348	268	
14		पूर्वी सिंहभूम	902	397	387	
15		सरायकेला–खरसावाँ	702	234	227	
16	संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका	दुमका	870	493	389	
17		जामताड़ा	500	264	222	
18		पाकुड़	463	261	220	
19		साहेबगंज	585	292	278	
20		गोड्डा	921	504	353	
21		देवघर	682	429	295	
22	पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर	पलामू	1367	492	419	
23		गढ़वा	860	384	368	
24		लातेहार	556	251	199	
		कुल–	17784	8602	5607	1818

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि सीधी नियुक्ति के तहत कुल

		अधियाचित पदों के विरूद्ध मात्र 62.49% तथा प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु आरक्षित (25%) पदों के विरूद्ध मात्र 5.22 प्रतिशत अभ्यर्थी ही सफल एवं चयनित हो पाये हैं। सीधी भर्त्ती के तहत भूगोल, जीव विज्ञान/ रसायनशास्त्र, गणित/भौतिकी, अंग्रेजी, पंचपरगनीय, कुरमाली, उराँव, खड़िया मात्र 8 विषयों में ही शत–प्रतिशत अनुशंसा प्राप्त हुई है। शेष 15 विषयों की अनुशंसा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से अभी आना बाकी है। इसी प्रकार प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु आरक्षित 25 प्रतिशत पदों के तहत नागपुरी, पंचपरगनीय, कुरमाली, उराँव, खड़िया एवं कृषि मात्र 6 विषयों में ही शत–प्रतिशत अनुशंसा प्राप्त हुई है, शेष 17 विषयों की अनुशंसा अभी आना बाकी है। उक्त नियमावली के अध्याय–6 की कंडिका 9(i) के अनुसार प्रारंभिक विद्यालयों के अर्हत्ता प्राप्त 5 वर्षों के अर्हता रखने वाले शिक्षकों हेतु 25 प्रतिशत आरक्षित पदों पर भी सीधी भर्त्ती की कार्रवाई का प्रावधान तो किया गया है, किन्तु यह कार्रवाई इसी भर्त्ती वर्ष में की जायेगी, ऐसा नियमावली में स्पष्ट नहीं है और ना ही झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या–21/2016 में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान है। दूसरी तरफ अभी सीधी भर्त्ती एवं प्रारंभिक विद्यालयों के लिए आरक्षित पदों सहित कुल 9411 रिक्तियों के विरूद्ध अनुशंसा आना शेष है। विधान सभा के ध्यानाकर्षण समिति के निर्देश के क्रम में प्रारंभिक विद्यालयों के कार्यरत अर्हत्ता प्राप्त शिक्षकों हेतु आरक्षित 25 प्रतिशत पद के अन्तर्गत रिक्त पदों को सीधी भर्त्ती से भरा जाने के संबंध में संचिका विधि परामर्श के लिए विधि विभाग को भेजी गई है। विधि विभाग से विधि सम्मत परामर्श प्राप्त होने पर इस संदर्भ में अग्रत्तर कार्रवाई की जायेगी।
3	क्या यह बात सही है कि प्राथमिक शिक्षक श्रेणी के अहर्त्ता प्राप्त अभ्यर्थियों में से प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित नहीं हो पाने की स्थिति में ऐसे रिक्त सीटों पर 75 प्रतिशत हेतु चयनित अभ्यर्थियों में से मेरिट आधार पर नियुक्ति के बाद बचे हुए क्वालिफाईड एवं अहर्त्ता प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना था , परन्तु 3711 प्राथमिक शिक्षक	उत्तर कंडिका–2 में सन्निहित है।

	श्रेणी की सीटें रिक्त ही रह गई है;	
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे रिक्त सीटों को निर्धारित नियुक्ति नियमावली के अनुरूप भरने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर कंडिका–2 में सन्निहित है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–105/2019 1960 राँची, दिनांक 22/07/2019

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(3)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री फूलचन्द मण्डल, स.वि.स. से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–06

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	**डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में झारखण्ड शिक्षक योग्यता परीक्षा (झारखण्ड टेट परीक्षा) नियमित ढंग से नहीं हो पा रही है;	वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2013 एवं वर्ष 2016 में झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। उक्त परीक्षा के उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र की वैधता 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष की गई है। वर्ष 2013 एवं 2016 में क्रमशः 66984 एवं 52837 सफल घोषित हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड शिक्षक योग्यता परीक्षा का नियमित नहीं होने के कारण झारखण्ड राज्य में आयोजित होने वाले प्राथमिक व माध्यमिक स्तर की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का पात्रता मापदण्ड प्राप्त अभ्यर्थी झारखण्ड शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित हो रहे है;	वर्ष 2013 के टेट परीक्षाफल प्रकाशित होने के उपरांत वर्ष 2015–16 में 25637 सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध 17564 सहायक शिक्षक की नियुक्ति हुई है। शेष 8073 पद रिक्त रह गये है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है। यह मात्र विषय विशेष में ग्रेजुएट एवं बी.एड. होना अनिवार्य है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जे–टेट परीक्षा 2019 का आयोजन करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। आगामी झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु सितम्बर 2019 में प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना है।

21.7.19
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक ....1172...... राँची, दिनांक .....21/07/...2019

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1385, दिनांक 14.07.2019 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.7.19
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(04)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.07.2019 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–08 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि अमेरिका के हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीयूट ने अपनी रिपोर्ट स्टेट ऑफ ग्लाबल एयर 2019 में कहा है कि भारत में वर्ष 2017 में 12 लाख लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हार्ट अटैक, लंग्स कैंसर, डायबिटीज तथा दमा जैसे रोगों के कारण हुई है ;	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–382 (15) दिनांक–22.07.2019 से प्राप्त प्रतिवेदन निम्नवत् है :– 1. राँची, गिरिडीह एवं धनबाद जिला से वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु होने की सूचना नहीं है। 2. पी0एम0 कणों के कारण होने वाले बिमारी सिलिकोसिस के मरीज अभी तक गिरिडीह जिले में नहीं पाए गए हैं।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में बढ़ते कल–कारखानों एवं वाहनों से निकलती विषैली धुआँ की जाँच समय–समय पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा नहीं किये जाने के कारण राज्य के गिरिडीह, राँची, धनबाद सहित कई अन्य जिलों में भी पी0एम0 कणों की अत्यधिक वृद्धि होने के कारण झारखण्ड राज्य में भी खण्ड–01 में वर्णित रोगों के रोगियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है;	
(3) क्या यह बात सही है कि राज्य में खण्ड–02 में वर्णित पर्षद के पास राज्य में वायु प्रदूषण की जाँच हेतु कोई इक्विपमेंट (मशीन/उपकरण) नहीं होने के कारण वायु प्रदूषण की जाँच निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं होती है;	अस्वीकारात्मक। Sl. No / CAAQMS Stations / Manual Stations 1. Jharia – Dhanbad-5 Nos. 2. Bokaro – Ranchi-02 Nos. 3. Ranchi – Hazaribagh-03 Nos. 4. Ramgarh – Jamshedpur-04 Nos. **Total – 14 Nos.** साथ ही राज्य में 05 झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की प्रयोगशाला एवं 10 Empanelled Labs कार्यरत है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–02 में वर्णित पर्षद द्वारा राज्य के सभी जिलों में वायु प्रदूषण की जाँच व उसके रोक–थाम हेतु कारगर प्रयास समय–समय पर कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में वायु गुणवत्ता की नियमित जाँच करने के लिए 101 स्थानों पर CAAQMS की स्थापना हेतु प्रस्ताव CPCB को भेजा गया है। 02 Mobile Units खरीदने का भी प्रस्ताव है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न– 66/2019–2741 व0प0, राँची, दिनांक– 22/07/2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1429 दिनांक–15.07.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

राकेश कुमार
22.07.2019

(राकेश कुमार)
सरकार के उप सचिव

VIDHAN SABHA-2019 V.K

(05)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री राधाकृष्ण किशोर, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–01

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर डा0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य का साक्षरता दर 66.40% है, जिसके विरुद्ध पुरुष साक्षरता दर 76.80% तथ महिला साक्षरता दर 55.40% है;	वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार यह सूचना सही है। अद्यतन स्थिति निम्न है– राज्य का साक्षरता दर– 73% पुरुष साक्षरता दर– 80.90% महिला साक्षरता दर– 64.60%
2.	क्या यह बात सही है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति के महिलाओं का साक्षरता दर 44.20% तथा अनुसूचित जनजाति के महिलाओं का साक्षरता दर 46.20% है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश के पलामू, चतरा व गढ़वा जिला में अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिक है, जबकि पलामू जिले में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता दर 39.37%, चतरा जिला में 34.71% तथा गढ़वा जिले में 4.85% है;	यह स्थिति वर्ष 2011 के जनगणना के अनुरूप है। अद्यतन स्थिति पलामू, चतरा व गढ़वा जिला में अनुसूचित जाति के महिलाओं का साक्षरता दर लगभग 50% है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि झारखण्ड राज्य में महिला और पुरुष के साक्षरता दर में समानता हेतु कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्ष 2011 के जनगणना के उपरांत भारत सरकार द्वारा साक्षर भारत कार्यक्रम पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ, जामताड़ा, खूँटी एवं सिमडेगा को छोड़कर राज्य के 19 जिलों में संचालित की गई। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार कुल निरक्षरों की संख्या 83,18,544 था। वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक NIOS के माध्यम से 40,27,607 वयस्क निरक्षरों को साक्षर किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा 01.04.18 से यह कार्यक्रम बंद कर दिया गया है। कार्यक्रम बंद होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा महिला एवं पुरुष के साक्षरता दर में समानता एवं साक्षरता दर बढ़ाने हेतु वर्ष 2019–20 से राज्य में साक्षर झारखण्ड अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है।

अकु सिंह
21.7.19
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–.....1162...../ रांची, दिनांक ....21/07/19....

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1382, दिनांक 14.07.2019 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकु सिंह
21.7.19
सरकार के अवर सचिव

06

श्री अरूप चटर्जी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 23.07.2019 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–02

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:– माननीय मंत्री:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार की नयी खनन नीति के अनुसार दिनांक– 31.03.2020 के बाद 5 हे0 का कलस्टर बनाकर गैर आबाद/रैयती भूमि में पत्थर खनन क्षेत्र निलाम करने की योजना है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2019 के द्वारा नियम– 9(1) (क) निम्नवत है– "रैयती भूमि के 3.00 हे० क्षेत्र एवं उससे कम क्षेत्र पर पत्थर, मोरम एवं मिट्टी लघु खनिज के खनन पट्टा उपायुक्त द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। परन्तु कि सभी सरकारी क्षेत्र एवं झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम– 6(ख) के परन्तुक में उल्लेखित क्षेत्र एवं खनिज को छोड़कर सभी रैयती क्षेत्र पर बालू छोड़कर अन्य सभी लघु खनिज के खनन पट्टे की स्वीकृति झारखण्ड लघु खनिज नीलामी नियमावली, 2017 में निरूपित प्रावधानों के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक नीलामी के माध्यम से निदेशक, खान के द्वारा किया जाएगा। परन्तु राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार नीलामी हेतु उपायुक्त को भी प्राधिकृत कर सकती है। इस सम्बन्ध में नियमावली के नियम– 6 (ख) में भी यह प्रतिस्थापित किया गया है कि "परन्तु कि पत्थर, मोरम एवं मिट्टी के लिए 3 हे० एवं 3 हे० से कम रैयती क्षेत्र पर खनन पट्टा की स्वीकृति झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम –9 के तहत उपायुक्त के द्वारा समुचित जाँचोपरान्त दी जाएगी।"
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विषयों के आलोक में राज्य में वर्त्तमान समय में धारित खनन पट्टों में 2 हेक्टेयर तक पुराने खनन पट्टाधारियों की संख्या 90 प्रतिशत है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि, खण्ड–2 वर्णित विषयों के आधार पर राज्य में 2 हेक्टेयर तक धारित गैर आबाद भूमि पर पुराने पट्टेदारों की अधिकता के कारण राज्य में अधिक स्वरोजगार, अधिक मजदूरों को काम एवं अधिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण बाजार में मूल्य संतुलन बना हुआ है;	यथा कंडिका–1
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित नयी खनन नीति के नियमों को शिथिल कर खण्ड–2 में वर्णित पट्टाधारियों का खनन पट्टा को इस निलामी प्रकिया से हटाकर पुनः उक्त पुराने पट्टाधारियों को ही नवीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यथा उपरोक्त।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:– वि0स0(अ0सू0)–58/19 1190 /एम0, राँची, दिनांक– 20.7.19

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 1388 दिनांक 14.07.2019 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/7/19
सरकार के उप सचिव

07

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या.अ०सू०.16

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में वर्ष 2016 के पश्चात् अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि हजारो की संख्या में प्रतिभावान छात्र-छात्राएँ प्रतीक्षा में उच्च डिग्री हासिल कर बैठक हुए है;	वर्ष 2013 के टेट परीक्षाफल प्रकाशित होने के उपरांत वर्ष 2015-16 में 25637 सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध 17564 सहायक शिक्षक की नियुक्ति हुई है। शेष 8073 पद रिक्त रह गये है। वर्ष 2013 एवं 2016 में क्रमशः 66984 एवं 52837 छात्र सफल घोषित है।
3.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के पड़ोसी राज्य बिहार में प्रति वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है;	इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रति वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	आगामी झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु सितम्बर 2019 में विज्ञापन प्रकाशन की संभावना है।

अकुसिंह
21.7.19
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 15/व2-09/2019-1174/ राँची, दिनांक 21/07/19

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1515, दिनांक 17.07.2019 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकुसिंह
21.7.19
सरकार के अवर सचिव

08

1963
22/07/2019

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–12

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड एकेडमीक काउंसिल (जैक) द्वारा संचालित अल्पसंख्यक इंटर कॉलेजों को मिलने वाली अनुदान राशि विगत दो वर्षो से सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखंड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004, झारखंड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) नियमावली, 2004 एवं यथासंशोधित नियमावली, 2015 के आलोक में झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची द्वारा प्रदत्त स्थापना अनुमति एवं राज्य सरकार की सहमति से प्रदत्त स्थायी प्रस्वीकृत प्राप्त इंटर महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि स्वीकृत की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य के 169 इंटर महाविद्यालयों द्वारा अनुदान की स्वीकृति हेतु Online आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें शर्तों को पूरा करने वाले 129 इंटर महाविद्यालयों को अनुदान की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के 162 इंटर महाविद्यालयों द्वारा Online अनुदान की स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें शर्तों को पूरा करने वाले कुल 121 इंटर महाविद्यालयों को अनुदान की स्वीकृति दी गई है। कुल 13 मामले तकनीकी कारणों से लंबित है। इसका निष्पादन एक माह में किया जायेगा।
2	क्या यह बात सही है कि लगभग सभी अर्द्धसरकारी एवं अल्पसंख्यक इंटर कॉलेजों को खोलने की अनुमति सरकार द्वारा दिये जाने वर्षो बाद मिलने वाली अनुदान को रोक दिया गया है, जबकि कॉलेजों द्वारा अपनी सभी अहर्त्ताओं पूरा किया जा रहा है तथा इंटर कॉलेजों की शर्त अन्य कॉलेजों की तरह शर्त व नियम समान रूप से लागू होता है ;	राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रस्वीकृति की शर्तों को पूरा करने वाले सभी आवेदित इंटर महाविद्यालय को अनुदान की स्वीकृति दी जा रही है।

3	क्या यह बात सही है कि सरकारी उदासीनता की वजह से इन अर्द्धसरकारी एवं अल्पसंख्यक इंटर कॉलेजों का अनुदान को रोकने के कारण बच्चों की पढ़ाई लगभग खत्म होने के कगार पर है;	इस कंडिका का उत्तर उपरोक्त कंडिका 1 में सन्निहित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के अर्द्धसरकारी एवं अल्पसंख्यक इंटर कॉलेजों को मिलने वाली अनुदान राशि का भुगतान देने विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व से ही अनुदान की राशि की स्वीकृति दी जा रही है एवं शर्त को पूरी करने वाले इंटर महाविद्यालयों को अनुदान की राशि का भुगतान किया जा रहा है।

22/7/2019
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–111 / 2019 1963 राँची, दिनांक 22/07/2019

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/7/2019
सरकार के अवर सचिव।

09

श्री मनीष जायसवाल, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-20

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में अवर शिक्षा सेवा संवर्ग का कुल स्वीकृत पद 714 है जिसमें क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी का कुल स्वीकृत पद 64 एवं रिक्त 64, अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी के कुल स्वीकृत पद 17 एवं रिक्त पद 08 / प्राचार्य, डायट का कुल स्वीकृत पद 24 कार्यबल 19 एवं रिक्त पद 05 / व्याख्याता, ट्रेनिंग कॉलेज का कुल स्वीकृत पद 25, कार्यबल 03 एवं रिक्त पद 22 / जन शिक्षा पदाधिकारी कुल स्वीकृत पद 16 सभी रिक्त और जिला शिक्षा अधीक्षक का कुल स्वीकृत पद 24, कार्यबल 19 एवं रिक्त पद 05 है;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य गठन के फलस्वरूप पदों के बंटवारे में विभाग को अवर शिक्षा सेवा (प्रा0शा0) के 714 पद प्राप्त हुए थे। परन्तु उक्त पदों के आलोक में दी गयी विवरणी अवर शिक्षा सेवा की नहीं बल्कि झारखण्ड शिक्षा सेवा की है। अवर शिक्षा सेवा (प्रा0शा0) एक अलग संवर्ग है। इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, प्राथमिक शिक्षा हैं। अंकनीय है कि वर्त्तमान में झारखण्ड शिक्षा सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग-2 के कुल-130 पद हैं। इन पदों में जिला शिक्षा अधीक्षक के 24, अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी के 17, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी के 64, जिला जन शिक्षा पदाधिकारी के 16 तथा जिला विद्यालय निरीक्षिका के 09 पद शामिल हैं। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षिका के 09 पद वर्त्तमान में सुसुप्तावस्था में हैं जबकि जिला जन शिक्षा पदाधिकारी का पद अभी क्रियाशील नहीं है। अतः उपलब्ध 105 पदों में से सीधी नियुक्ति हेतु 79 पद तथा प्रोन्नति हेतु 26 पद निर्धारित होते हैं। उक्त पदों के विरूद्ध सीधी भर्त्ती से नियुक्त 24 पदाधिकारी तथा प्रोन्नति से नियुक्त 31 पदाधिकारी कार्यरत हैं। कतिपय न्यायादेश के क्रम में 19 पदाधिकारी वर्ष-2019 में झारखण्ड शिक्षा सेवा में शामिल हुए हैं। इस तरह अद्यतन 74 पदाधिकारी झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग-2 में तथा 08 पदाधिकारी वर्ग-01 में कार्यरत हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निरीक्षण तथा प्रशिक्षण संवर्ग को अलग-अलग करते हुए प्रशिक्षण महाविद्यालयों हेतु अलग नियमावली गठित है। राज्य के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) इसी नियमावली से आच्छादित हैं।

2.	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन से लेकर अबतक खण्ड–01 में वर्णित पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति नहीं की गई है जिसके कारण नीति आयोग द्वारा राज्य में गुणात्मक शिक्षा के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों का लाभ छात्र–छात्राओं को नहीं मिल पा रही है;	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य गठन के उपरान्त अवर शिक्षा सेवा (प्रा0शा0) से झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग–2 में आवश्यकतानुसार लगभग 55 पदाधिकारियों को प्रोन्नति दी गयी है। झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग–2 में सीधी नियुक्ति हेतु कुल–36 पदों की अधियाचना भी झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी गयी है, जिसमें नियुक्ति कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही इसी वर्ष अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) एवं राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय के लगभग 272 शिक्षकों को भी झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग–2 में संविलियन किया गया है जिसमें वर्त्तमान में कुल–19 पदाधिकारी पदस्थापित होकर कार्यरत हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य हित में खण्ड–01 में वर्णित सभी रिक्त पदों को चालू वित्तीय वर्ष में ही भरने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	इस खंड का उत्तर उपर्युक्त कंडिका–02 में सन्निहित है।

31/07/19

(सुशील अजीत सुरीन),
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–01/वि02–01/2019.....2323...../ राँची, दिनांक 22-7-19...../

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/19

(सुशील अजीत सुरीन),
सरकार के अवर सचिव।

(10)

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.07.2019 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–17 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के प्रखण्ड उधवा स्थित विश्व प्रसिद्ध पक्षी आश्रयणी का मॉनिटरिंग हजारीबाग वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी साहेबगंज के माध्यम से की जा रही है ;	उधवा झील पक्षी आश्रयणी का प्रशासनिक नियंत्रण हजारीबाग वन्यप्राणी प्रमण्डल के अन्तर्गत है। परन्तु वन प्रमण्डल मुख्यालय से इसकी दूरी अधिक होने के कारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या–178 दिनांक–24.12.2018 के आलोक में उक्त आश्रयणी में सघन गस्ती एवं अवैध अतिक्रमण अथवा शिकार की रोकथाम हेतु साहेबगंज प्रादेशिक वन प्रमण्डल को ससमय त्वरित सहयोग करने हेतु निदेशित किया गया है, ताकि संयुक्त रूप से कार्रवाई कर अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकथाम की जा सकें। इस निदेश के आलोक में उधवा स्थित वन्यप्राणी प्रमण्डल के क्षेत्र कर्मचारियों के साथ दोनों वन प्रमण्डलों द्वारा संयुक्त रूप से गश्ती आदि का कार्य किया जा रहा है।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पक्षी आश्रयणी क्षेत्र की मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण वहां सैलानी द्वारा पक्षियों को मारा जा रहा है तथा आश्रयणी क्षेत्र का अतिक्रमण विगत कई वर्षो से किया जाता रहा है ;	आश्रयणी क्षेत्र की निरन्तर गश्ती एवं मोनिटरिंग होती है। आश्रयणी क्षेत्र में पक्षियों के शिकार का कोई मामला संज्ञान में नहीं है, किन्तु झील में अवैध रूप से मछली पकड़ने के दो मामले दर्ज हुए हैं। आश्रयणी क्षेत्र में सम्प्रति कोई अतिक्रमण नहीं है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पक्षी आश्रयणी वन क्षेत्र को पर्यावरण के दृष्टिकोण से पक्षियों की रक्षा के साथ अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार करती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर उपर कंडिका–1 एवं 2 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–69/2019–2748 व0प0, राँची, दिनांक– 22/07/2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1556 दिनांक–18.07.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

राकेश कुमार
22.07.2019
(राकेश कुमार)
सरकार के उप सचिव

VIDHAN SABHA-2019 V.K

(11)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

प्रो. स्टीफन मराण्डी, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-18

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि दिनांक 12.07.2019 को पूरे राज्य में 'गुरु गोष्ठी' कार्यक्रम का आयोजन किया गया था;	अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखण्ड मात्र में दिनांक 12.07.2019 को 'गुरु गोष्ठी' कार्यक्रम का आयोजन किया गया था तथा अन्य प्रखण्डों एवं जिलों में विभिन्न तिथियों को आयोजित किया गया।
2.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिलान्तर्गत पाकुड़िया प्रखण्ड में आयोजित उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने खुलासा किया कि अधिकांश विद्यालयों में पानी की अनुपलब्धता के कारण मिड डे मील कार्यक्रम बंद है;	अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि जिले के पाकुड़िया प्रखण्ड अवस्थित सभी 150 सरकारी विद्यालयों में पानी की समुचित व्यवस्था है। पानी के अभाव में मध्याह्न भोजन बंद रहने के संबंधी कोई सूचना प्रतिवेदित नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि मिड डे मील कार्यक्रम बंद रहने के कारण छात्र-छात्राओं को दिन के भोजन से वंचित रखा जा रहा है;	अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संचालित है एवं मेनू के आधार पर दिया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मिडडे मील शुरु करने की दिशा में की गयी कार्रवाई का उल्लेख करते हुए मिड डे मील पूरे राज्य के बंद विद्यालयों में उक्त कार्यक्रम को शुरु करने का इरादा रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक । राज्य के सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना संचालित है।

अ0कु0सिंह 21.7.19
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-.....1168...../ रांची, दिनांक ...21/07/19...

प्रतिलिपि- उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1558, दिनांक 18.07.2019 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अ0कु0सिंह 21.7.19
सरकार के अवर सचिव

(12)

श्री सुखदेव भगत, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.07.2019 को पूछा जाने वाला प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–05

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं स्नातकोत्तर (PG) विभागों में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का 1980 दशक में जितना पद सृजित था आज वर्ष 2019 में भी उतना ही पद सृजित है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि विगत 40 वर्षों में छात्रों की संख्या दस गुणा बढ़ गया है, फिर भी पुनः पद सृजित नहीं होने के कारण छात्र–छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रहित में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों का सृजन करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	राँची विश्वविद्यालय, राँची, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू एवं सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के अन्तर्गत सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं स्नातकोत्तर विभागों तथा डिग्री स्तरीय नये महाविद्यालयों हेतु पद सृजित किये गये हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के स्नातकोत्तर विभाग के लिए पदों के सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0–59/2019.....1604...../ रांची दिनांक–.....22/07/2019...../

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1384 दिनांक–14.07.2019 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/7/19

सरकार के अवर सचिव,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

(13)

श्रीमती सीमा देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.07.2019 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–04 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वन विभाग द्वारा सड़क, स्कूल–सामुदायिक भवन, टावर के निर्माण के लिए DFO स्तर से ही अनुमति प्रदान की जाती है ;	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत् वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है। कुछ विनिर्दिष्ट मामलों में केन्द्र सरकार ने यह शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त की है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में यह प्रावधान किया गया है कि कुछ विनिर्दिष्ट कार्यों हेतु वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए अनुमति वन प्रमण्डल पदाधिकारी/जिला स्तरीय समिति द्वारा दी जाएगी बशर्ते ऐसी वन भूमि का क्षेत्रफल एक हेक्टेयर से कम हो तथा उस पर अवस्थित वृक्षों की संख्या–75 या उससे कम हो। वन भूमि के गैर वानिकी के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन देना होता है।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में पावर सब–स्टेशन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र DFO स्तर से निर्गत नही किया जाता है ;	
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वन क्षेत्रों के आस–पास विद्युत् सब स्टेशन निर्माण हेतु वन भूमि क्षेत्र पड़ने पर DFO स्तर से ही अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–62/2019–2745 व0प0, राँची, दिनांक–22/07/2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1387 दिनांक–14.07.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

राकेश कुमार
22.07.2019

(राकेश कुमार)
सरकार के उप सचिव

(14)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री जगरनाथ महतो, स.वि.स. से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–07

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के वैसे पारा शिक्षक जो NIOS के D.El.Ed Course में सभी विषयों में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी सिर्फ 45 प्रतिशत अंक नहीं प्राप्त कर पाने के कारण शिक्षा विभाग उन्हें अप्रशिक्षित मानती है, जबकि वैसे पारा शिक्षक करीब 15 वर्षो से योगदान दिये हुए है;	अस्वीकारात्मक। RTE Act के Section 23(2) में संशोधन करते हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–D.O. No.17.2/2017–EE-17 दिनांक 3 अगस्त 2017 द्वारा प्रावधान किया गया कि दिनांक 31 मार्च 2019 तक अंतिम रूप से शिक्षक प्रशिक्षण का उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें अन्यथा की सिथति में उन्हें कार्य मुक्त करने की कार्रवई की जायेगी। भारत सरकार द्वारा ही NIOS के माध्यम से D.El.Ed करने का प्रावधान किया गया था। यह भारत सरकार की संस्था है। NIOS के द्वारा जिन अभ्यर्थियों को D.El.Ed परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया है उसे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग उत्तीर्ण मानता है।
2.	क्या यह बात सही है कि 17 जनवरी, 2019 को हुए समझौता के तहत् 90 दिनों के नियमावली बनाने पर सहमति बना था, लेकिन नियमावली अभी तक नहीं बना पाया है, अपितु अप्रशिक्षित के नाम पर प्रखण्ड अनुमोदन एवं 10 दिन प्रशिक्षण के अनिवार्यतता के आधार पर पारा शिक्षकों को हटाने एवं मानदेय स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है ;	राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा पारा शिक्षकों की विभिन्न मांगों पर विचार किया गया है। उनके मांगों के अनुरूप उनके मानदेय में वृद्धि कर अद्यतन जून 2019 तक भुगतान किया गया। सभी अन्य बिन्दुओं पर कार्रवई की जा चुकी हैं। पारा शिक्षकों के नियमावली बनाने हेतु अन्य राज्यों यथा– असम, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, पयिचमी बंगाल आदि में विशेष दल भेज कर अध्ययन कराया गया है नियमावली बनाने हेतु कई बैठक आयोजित हुई है तथा इस पर सम्यक विचार कर निर्णय स्थापित प्रक्रिया के तहत पूर्ण किया जायेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को एक मौका देने तथा प्रखण्ड अनुमोदन एवं प्रशिक्षण के नाम पर शिक्षकों के	अस्वीकारात्मक । माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची का

Khurshid

	छटनी को बंद करने का विचार एवं स्थगित मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	एल.पी.ए संख्या–151/2018 में पारित न्यायादेश जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है :- *"The court find that as per the circular issued by the respondents as back as on 02.01.2007 as contained in annexure-D to the counter affidavit filed in the writ petition, it was clearly indicated to all concerned under the Sarva Shiksha Abhiyan that no teacher should be permitted to join as school teachers unless the teacher is trained"* के अनुपालन में वैसे पारा शिक्षक जिन्होंने सेवा पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है को चिन्हित करने तथा जो अबतक अप्रशिक्षित हैं उन्हें RTE Act के प्रावधान के अनुरूप कार्य नहीं लेने का आदेश दिया गया है। भारत सरकार द्वारा भी यथा उपरोक्त कंडिका 1 में दिनांक 31.03.2019 के बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवाएँ नहीं लेने का आदेश है। इसी न्यायादेश तथा RTE Act के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

अस्पष्ट 21-7-19
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक ....1171........ राँची, दिनांक ....21/07/....2019

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1386, दिनांक 14.07.2019 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अस्पष्ट 21-7-19
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

15

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.07.2019 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–14 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गो, ग्रामीण पथों के निर्माण, चौड़ीकरण, शहरी एवं ग्रामीण आवासीयकरण, औद्योगिकरण आदि में पेड़ों की कटाई अंधाधूध जारी है ;	अस्वीकारात्मक। राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण पथों के निर्माण, चौड़ीकरण, शहरी एवं ग्रामीण आवासीयकरण, औद्योगिकरण आदि में यदि पेड़ों की कटाई अनिवार्य हो तो माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में गठित उच्च स्तरीय समिति सम्यक विचार उपरान्त वृक्षों के पातन की अनुशंसा करती है। इस उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रयोक्ता एजेन्सी को नियमानुकूल वृक्ष पातन का आदेश देते हैं।
(2) क्या यह बात सही है कि वृक्षों की कटाई में वन विभाग की दिशा निर्देश की घोर अवहेलना की जा रही है ;	
(3) क्या यह बात सही है कि विकास के नाम पर जिस रफ्तार से वृक्षों की कटाई किया जा रहा है जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है;	वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अपयोजित होने की दशा में सामान्यतया उतने ही क्षेत्रफल की गैर वन भूमि अथवा दोगुणे अवकृष्ट वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण का प्रावधान है। अन्य भूमियों पर अवस्थित वृक्षों के लिए उच्च स्तरीय समिति द्वारा स्थलीय स्थिति के अनुसार पातित वृक्षों की संख्या के दस–गुणा तक वृक्षारोपण का निदेश प्रयोक्ता एजेन्सी को दिया जाता है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मामले की जाँचकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05 / विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–68 / 2019–2746 व0प0, राँची, दिनांक– 22/07/2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1512 दिनांक–17.07.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

राकेश कुमार
22.07.2019

(राकेश कुमार)
सरकार के उप सचिव

VIDHAN SABHA-2019 V.K

(16)

श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.07.2019 को पूछा जाने वाला प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–15

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने शर्त्तों के साथ 11 निजी विश्वविद्यालयों की स्वीकृति दी है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उन विश्वविद्यालयों ने निर्धारित शर्त्तों की अवधि पार करने के बाद भी अब तक शर्त्तों को पूरा नहीं किया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निर्धारित शर्त्तों को पूरा नहीं करने वाले विश्वविद्यालय की पुनः समीक्षा कर उनकी मान्यता समाप्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत् विभागीय स्तर से जाँच की जा रही है। जाँचोपरांत निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1 / वि0स0–67 / 2019 1605 / रांची दिनांक– 22/07/2019 /

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1513 दिनांक–17.07.2019 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/7/19
सरकार के अवर सचिव,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

(17)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 23.07.2019 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न–अ०सू०–11

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:– माननीय मंत्री:–

<table>
<tr><th>क0सं0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के खनिज सम्पदा वाले जिलों में केन्द्र सरकार द्वारा डी0एम0एफ0टी0 के तहत प्रभावित एवं विस्थापित क्षेत्र के विकास के लिए राशि उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें विकास की अपार संभावना है;</td><td>उत्तर स्वीकारात्मक है।
DMF कोष से Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY) के तहत खनन कार्यों से प्रभावित खनन क्षेत्रों एवं जन समुदाय के उत्थान एवं कल्याण के लिए DMF से प्राप्त राशि का उपयोग किया जाता है।DMFT के गठन से माह जून, 2019 तक लगभग कुल 4317.1 करोड़ रूपये की राशि खनन प्रभावी क्षेत्रों में जन कल्याण के लिए संबंधित जिलों में ट्रस्ट के खातों में जमा की जा चुकी है। जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के योजनाओं में किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि इस राशि का खर्च सही ढंग से समय पर नहीं किया जा रहा है, और इसका अधिकांश पैसा पेयजल एवं शौचालय में खर्च किया जा रहा है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
खनन प्रभावित क्षेत्रों एवं लोगों के विकास हेतु अधिसूचित झारखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट–2016 एवं झारखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट(संशोधन)–2016 के प्रावधानों के अनुरूप न्यासशासी परिषद् एवं प्रबंध समिति द्वारा योजनाओं का चयन एवं क्रियान्वयन किया जाता है।DMFT के गठन से माह जून, 2019 तक लगभग कुल 4317.1 करोड़ रूपये की राशि खनन प्रभावी क्षेत्रों में जन कल्याण के लिए संबंधित जिलों में ट्रस्ट के खातों में जमा की जा चुकी है।जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के योजनाओं में किया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्नवत है :–
<table>
<tr><th>Details of Schemes / Projects under implementation</th><th>Number of schemes/ projects/Unit</th><th>No. of individual beneficiaries assisted (ODF, Trainees, Others)</th><th>Amount Sanctioned (Rs. in Cr.)</th><th>Amount Spent on date (Rs. in Cr.)</th></tr>
<tr><td>• Drinking water</td><td>22822</td><td>2598158</td><td>3024</td><td>812.97</td></tr>
<tr><td>• Sanitation (ODF) (Swatch Bharat Mission)</td><td>16</td><td>332745</td><td>421.89</td><td>383.50</td></tr>
<tr><td>• Health Sector</td><td>151</td><td>-</td><td>9.28</td><td>5.58</td></tr>
<tr><td>• Others</td><td>915</td><td>100</td><td>452.59</td><td>67.85</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>23904</td><td>2931003</td><td>3907.99</td><td>1269.90</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त राशि को पेयजल एवं शौचालय के अलावा यातायात, सामुदायिक भवन एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं में खर्च करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>अस्वीकारात्मक।
झारखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट–2016 के प्रावधानों के अनुरूप priority sector एवं other priority sector में योजनाओं का चयन न्यास शासी परिषद् एवं प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। उपरोक्त नियम के आलोक में पेयजल एवं शौचालय के योजनाओं</td></tr>
</table>

		के अलावा जलवायु संरक्षण, स्वास्थ सेवाएँ, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास, वृद्ध एवं दिव्यांग विकास, आधारभूत संरचना, सिंचाई तथा ऊर्जा एवं जल विभाजन प्रबंधन. से संबंधित योजनाओं का चयन भी DMFT अन्तर्गत किया जाने का प्रावधान है तथा किया भी जा रहा है। नीति आयोग द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों के विकास हेतु तैयार की गयी Action Plan में सन्निहित योजनाओं का कार्यान्वयन भी DMFT के दिशा निर्देश के अनुरूप करने का निदेश सभी उपायुक्त को दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः– वि0स0(अ0सू0)–60 / 19 1188 /एम0, राँची, दिनांक– 20.7.19

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 1447 दिनांक 16.07.2019 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/7/19
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग
खान निदेशालय

पत्रांकः–ख0नि0(विविध)–20 / 2018 1475 / एम0, राँची, दिनांक– 01.06.2018

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी०,
खान आयुक्त।

सेवा में,

सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (DMFT),
झारखण्ड।

विषय :– **DMFT मद में प्राप्त राशि का अधिकतम उपयोग लोकहित में करने के संबंध में।**

प्रसंग– खान निदेशालय का पत्रांक–2989 दिनांक 19.12.2017, नीति आयोग का पत्र दिनांक 03.05.2018 एवं सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार का D.O. No.16/7/2015-M.VI(Part) दिनांक 17.05.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में कहना है कि DMFT मद में प्राप्त राशि को PMKKKY अन्तर्गत योजनाओं के सफल एवं पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया था। पुनः दिनांक 11.04.2018 को नीति आयोग, नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला एवं खान मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा DMFT मद में जमा राशि का अधिकतम लाभ जनसधारण को उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने का निम्नांकित निदेश दिया गया है :–

1. The State Governments who have formed the rules are required to utilize the funds judiciously and effectively in order that the welfare schemes in the mining affected areas were carried out in a swift manner.
2. All State Government should also ensure the efficient and expeditious utilization of DMF funds for undertaking various development activities in the Aspirational District Programme in convergence with other programmes / schemes so that this fund can provide maximum benefit to the public in different states.
3. It is advised to the District Magistrates to dovetail DMF funds for the implementation of Action Plans in the aspirational districts, within the framework of DMF/PMKKKY guidelines.

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए एवं कृत कार्रवाई से खान निदेशालय को अवगत कराया जाए।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(अबुबक्कर सिद्दीख पी०)
खान, आयुक्त।

ज्ञापांक– 1475 /एम0, राँची, दिनांक– 01.06.2018

प्रतिलिपिः–सभी उप विकास आयुक्त/अपर निदेशक, खान, राँची/सभी उप निदेशक, खान (मु0 छोड़कर)/सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

खान आयुक्त।

ज्ञापांक– 1475 /एम0, राँची, दिनांक 01.06.2018

प्रतिलिपिः–सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

खान आयुक्त।

(18)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री नलिन सोरेन, स०वि०स० से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–09

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	उत्तर डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए किताब की छपाई की जिम्मेदारी टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन द्वारा करने का निर्णय लिया गया था।	अस्वीकारात्मक। राज्य में टेक्स्ट बुक कॉरपरेशन के गठन की कार्रवाई झारखण्ड शिक्षा परियाजना परिषद् के राज्य कार्यकारिणी समिति की 40वीं बैठक जो दिनांक 25.03.2015 को संपन्न हुई थी, में लिया गया था। वर्त्तमान परिपेक्ष्य में इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् ऐसे कार्य के लिए सक्षम नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि कॉरपोरेशन के गठन के बाद पूर्व शिक्षा सचिव द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016–17 में कॉरपोरेशन द्वारा किताब छपाई के लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी।	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि कॉरपोरेशन के गठन को लेकर बनी कमिटि में शिक्षा विभाग को प्रस्ताव सौंप दिया गया था तथा इसकी स्वीकृति भी शिक्षा विभाग से मिल गयी थी।	वस्तुस्थिति यह है कि समिति द्वारा प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार कर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सौंपा गया था। वर्त्तमान में एक स्वतंत्र कारपोरेशन गठन की आवश्यकता एवं व्यवहार साद्धयता नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन की सारी प्रक्रियाओं के पूरा करने के बावजूद किताब की छपाई शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पाठ्य–पुस्तकों के मुद्रण का कार्य मात्र दो से तीन महीने के कार्य होता है। सरकार टेक्स्ट बुक कारपोरेशन गठन नहीं करना चाहती है क्योंकि यह वित्तीय रूप से कभी लाभप्रद नहीं होगा। वार्षिक व्यय, वर्त्तमान मुद्रण के मुकाबले बढ़ जायेगा।

अस्पष्ट हस्ताक्षर 21-7-19

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक ....1170...... राँची, दिनांक ......21/07/......2019

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक , दिनांक .... के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अस्पष्ट हस्ताक्षर 21-7-19

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(19)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-10

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि समान कार्य हेतु समान वेतन देने का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने के बाद भी शिक्षा मित्रों को समान वेतन लाभ नहीं मिल रहा है;	झारखण्ड राज्य में शिक्षा मित्र नामक नामांकन किसी पद का नहीं है। इस राज्य में पारा शिक्षक कार्यरत हैं, जो ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा संविदा के आधार पर चयनित हैं। समग्र शिक्षा के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय के आलोक में उन्हें भुगतान किया जा रहा है तथा समय-समय पर उनके मानदेय में बढ़ोतरी भी की जाती है। 01 जनवरी, 2019 के प्रभाव से भी उनके मानदेय में वृद्धि की गई है, जो उनहें अद्यतन प्राप्त है। माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश के मामले में जो कि शिक्षा मित्र के संदर्भ में है में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. संख्या 9529/2017 में पारित आदेश (66 pages) के para 21, 22,25 एवं 26 काफी महत्वपूर्ण है। इसके पारा 26 में "The State is at liberty to continue them as Shiksha Mitras on same terms on which they were working prior to their absorption, if the State so decides." उक्त से स्पष्ट है कि प्राप्त सूचना के अनुसार शिक्षा मित्र रूपये दस (10) हजार प्रतिमाह पर कार्यरत है। (i) इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची के LPA No. 649/2017 झारखण्ड प्रदेश अनौपचारिक जन सह विशेष शिक्षा अनुदेशक संघ बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के कंडिका 5 के अंतिम पारा में अंकित है- "As a cumulative effect of the aforesaid observations, rules, guidelines and judicial pronouncements, I am of the

अनुलिपि

considered view that case of the petitioners are not tenable in the eyes of law. No case of regularisation has been made out. State has no Scheme to continue the centrally sponsored time bound scheme which has already been closed by Government of India and as such, the writ petition is dismissed."

(ii) माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची द्वारा पारित आदेश WP(S) No. 3679/2015, बासुदेव प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य के अंतिम पारा में अंकित है–

"The petitioners have been appointed for a fixed tenure on contract now they want extention in the terms and condition of contract, which can not be excluded under Article 226 of the constitution of India since the said provision is meant for only if there is infringement of fundamental right of the litigant has got vested legal right. Here in the instant admittedly the petitioners have been appointed on contract having in terms of conditions the same can not be said to be any fundamental tight or they have been vested with the legal right to continue in service by taking them under regular establishment.

As no reliefs can be granted to the petitioner by this Court in exercise of extraordinary Jurisdiction conferred under Article 226 of the Constitution of India.

Accordingly, there is no merit in the writ petition; hence it is dismissed.

(iii) माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची द्वारा पारित आदेश WP(S) No. 4110/2013 Bholanath Hansda V/s The State of continuance/engagement of the appellants under the specific scheme cannot be held to be an employment under any establishment under the Government".

अतः संविदा आधारित नियुक्ति पारा शिक्षक, जिनकी नियुक्ति किसी योजना के अधीन है उन्हें सरकार के

अकोसिह

		समान नियुक्त नहीं माना जा सकता है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त वेतन विसंगति के कारण लाखों शिक्षा मित्रों को समान वेतन लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। इस खण्ड का उत्तर खण्ड 1 में सम्मिलित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यभर के सभी शिक्षा मित्रों को भी समान कार्य हेतु समान वेतन देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड 1 में सम्मिलित है।

अकुशिह
21.7.19
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–.....1169...../ रांची, दिनांक ....21/07/19.....

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1442, दिनांक 16.07.2019 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकुशिह
21.7.19
सरकार के अवर सचिव

20

श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं० अ०सू०–19 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		**मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।**
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में काफी समय से अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में नियुक्ति नहीं की जा रही है;	1.	**अस्वीकारात्मक** झारखण्ड खिलाड़ी (सीधी नियुक्ति) नियमावली के तहत् अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में सीधी नियुक्ति प्रदान की गई है। यथा, सुश्री विंध्यवासिनी कुमारी सिन्हा, अन्तराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी, श्रीमती अरूणा मिश्रा, अन्तरराष्ट्रीय मुक्केबाज आदि।
2.	क्या यह बात सही है कि पड़ोसी राज्य बिहार में खेल संस्कृति के विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रेरित करने एवं इनके भविष्य की सुरक्षा प्रदान करने हेतु खेल विधावार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 के तहत् नियुक्ति की गई है;	2.	झारखण्ड राज्य से संबंधित नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनकी मेधा के आधार पर राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	झारखण्ड खिलाड़ी (सीधी नियुक्ति) नियमावली–2014 एवं झारखण्ड खिलाड़ी (सीधी नियुक्ति) संशोधन नियमावली–2015 का संशोधन प्रक्रियाधीन है। नियमावली के संशोधन के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य सरकार के अधीन विभिन्न में सीधी नियुक्ति की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/70/2019...1175......../**राँची, दिनांक**...22-07-2019.......

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1557/वि०स०, दिनांक–18/07/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/7/19

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

jharkhand tourism
Nature's hidden jewel